

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 923/2026
URN: CFA / 1485U / 2026

Heera Lal S/o Shri Dhukal Through LRs

----Appellant

Versus

Lali Devi & Ors.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Gajender Singh Rathore
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

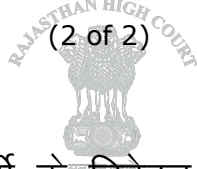
03/07/2026

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 622/2 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नंबर 966/594 रकबजा 9 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी, कुल 12 बीघा 13 बिस्वा को प्रकरण की आगामी तिथि तक किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी भी तरह से तीसरे पक्ष को बेचान/अंतरण, रहन नहीं करेंगे। उक्त आदेश प्रत्यर्थी संख्या 1 पर नोटिस तामील होने के पश्चात प्रभावी होगा। यह स्थगन आदेश मात्र आगामी पेशी तक है और प्रत्यर्थी संख्या 1 के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 2 से 10 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं अतः प्रत्यर्थी संख्या 2 से 10 की तामील से छूट प्रदान की जावे।



विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन व जोखिम पर प्रत्यर्थी संख्या 2 से 10 की तामील से छूट प्रदान की जाती है।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/20